

(आदेश 20 नियम 6.7 जा.टी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादही

श्री बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादही

- 1 श्री उदयलाल पिता भेरूलाल कुम्हार नि बड़ीसादही तहसील बड़ीसादही
- 2 श्रीमति प्यारीबाई पति उदयलाल कुम्हार नि बड़ीसादही तहसील बड़ीसादही  
वादीगण

[[बनाम]]

- 1 श्री भवरसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि अम्बावली तहसील बड़ीसादही
- 2 श्री रतनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि अम्बावली तहसील बड़ीसादही मूलक के बजाय  
2/ 1 श्री नारायण सिंह पिता रतनसिंह राजपुत नि अम्बावली  
2/2 श्रीमति विष्णु कुंवर पुत्री रतनसिंह राजपुत नि अम्बावली  
2/3 श्रीमति मुडडी कुंवर पुत्री रतनसिंह राजपुत नि अम्बावली
- 3 श्री रूपसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि अम्बावली
- 4 श्री देवीसिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपुत नि अम्बावली
- 5 श्री अमरसिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपुत नि अम्बावली
- 6 श्री मति मितुकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह राजपुत नि अम्बावली
- 7 श्री मति ऐजनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह राजपुत नि अम्बावली
- 8 श्री भुगीधारी तहसीलदार साठ तहसील बड़ीसादही

प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 02/2019 (2019/00001) वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील मोहसन और प्रतिवादी के एक्स पार्टी कार्यवाही की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाकर अंतिम डिप्री किया जाता है। कि मीजा अम्बावली की आ.न. 292 रकबा 1.58 हेक्टर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

01. श्री उदयलाल पिता भेरूलाल प्यारीबाई पति उदयलाल कुम्हार सा बड़ीसादही के रहेगी।

आ. न.	रकबा	ग्राम
292/1	0.79	अम्बावली

2. श्री भवरसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि. अम्बावली साकिन देह की रहेगी।

आ. न.	रकबा	ग्राम
292/2	0.13	अम्बावली

3. श्री रूपसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि. अम्बावली साकिन देह

आ. न.	रकबा	ग्राम
292/3	0.13	अम्बावली


4. श्री नारायण सिंह पिता रतनसिंह श्रीमति विष्णु कुंवर पुत्री रतनसिंह श्रीमति मुडडी कुंवर पुत्री रतनसिंह राजपुत नि अम्बावली के रहेगी।

आ. न.	रकबा	ग्राम
292/4	0.13	अम्बावली

5. श्री देवीसिंह अमरसिंह मितुकुंवर पिता लक्ष्मण सिंह ऐजनकुंवर पति लक्ष्मणसिंह राजपुत नि. अम्बावली के रहेगी।

आ. न.	रकबा	ग्राम
292/5	0.40	अम्बावली

इस वाद के संबंध में प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से म्याज सहित को दी जावे। यह आज दिनांक 10.04.2023 को अधोहस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(बिन्दुबाला राजावत)RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादही

